रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092024-257442
CG-DL-E-24092024-257442

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3825] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 24, 2024/आश्विन 2, 1946
No. 3825] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 24, 2024/ ASVIN 2, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली,17 सितम्बर, 2024

का.आ.4183 (अ)- भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एत्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश को हस्त्त उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के बाद लागू होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग – (1) नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि लघु उद्यम के संबंध में, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नौ माह की अवधि के बाद लागू होगा।

बशर्ते कि सूक्ष्म उद्यम के संबंध में, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह माह की अवधि के बाद लागू होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – भारतीय मानक ब्यूरो तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी– इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
हस्त उपकरण	4123:1982	चेन पाइप रेन्चेज
	4508:1992	ओपन एन्डेड स्लगिंग रेन्च (स्पैनर)
	4509:1992	रिंग स्लगिंग रेन्च (स्पैनर्स)
	6149:1984	सिंगल एन्डेड ओपन-जॉ एडजस्टेबल रेन्च
	2028:2004	ओपन-जॉ रेन्च (स्पैनर्स)
	2029:1998	रिंग रेन्च (स्पैनर)
	4003 (भाग 1): 1978	पाइप रेन्च- सामान्य प्रयोजन हेतु
	4003 (भाग 2): 1986	पाइप रेन्च–हेवी ड्यूटी हेतु
	3650:1981	साइड कटिंग प्लायर्स कॉम्बिनेशन

***नोट* –** इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा.सं.पी-29026/11/2022– एलईआई]

संजीव ,संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE

ORDER

New Delhi, the 17 th September, 2024

S.O. 4183(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau

of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. **Short title and commencement. -** (1) This order may be called the Hand Tools (Quality Control) Order, 2024.

(2) It shall come into force on the expiry of six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette:

Provided that in relation to small enterprises, as defined under clauses (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the expiry of nine months from the date of publication of this notification.

Provided that in relation to micro enterprises, as defined under clauses (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the expiry of twelve months from the date of publication of this notification.

2. **Compulsory use of Standard Mark.-** Goods or articles specified in column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-1 of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export.

3. **Certification and enforcement authority. -** The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the Table.

4. **Penalty for Contravention. –** Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	**(2)**	**(3)**
Hand Tools	4123:1982	Chain Pipe Wrenches
	4508:1992	Open Ended Slugging Wrenches (Spanners)
	4509:1992	Ring Slugging Wrenches (Spanners)
	6149:1984	Single-ended Open-jaw Adjustable Wrenches
	2028:2004	Open-Jaw Wrenches (Spanners)
	2029:1998	Ring Wrenches (Spanners)
	4003 (Part 1): 1978	Pipe Wrenches –General Purpose
	4003 (Part 2): 1986	Pipe Wrenches – Heavy Duty
	3650:1981	Combination Side Cutting Pliers

Note. **-** For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply.

(F. No. P-29026/11/2022-LEI)
SANJIV, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA